न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
83 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	20.09.2022	12.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री कमल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स देवली रोड मेहन्दवास तह. व जिला टोंक राज. निवासी देवली रोड मेहन्दवास तह. व जिला टोंक राज.

2—श्री प्रेम प्रकाश पुत्र श्री कृष्ण गोपाल प्रोपरायटर मैसर्स गौरव एजेन्सीज हाथाई का मोहल्ला नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक राज.

3—श्री गिरीश जींदगर पुत्र श्री चाननमल जींदगर पार्टनर मैसर्स श्री पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी ए—93 राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा सीकर रोड जयपुर राज. निवासी वार्ड नं. 13, सांगरिया हनुमानगढ़ राज.

4—श्री अमोल भाटिया पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार भाटिया प्रोपरायटर मैसर्स ए बी एन्टरप्राईजेज 630 फासिल रोड श्रद्वानन्द मार्ग जीबी रोड दिल्ली।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी।

:—निर्णय—: **दिनांक 12.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2021 को समय 04:01 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स देवली रोड मेहन्दवास तह. व जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहॉ पर श्री कमल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कमल कुमार जैन ने स्वंय को मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स देवली रोड मेहन्दवास तह. व जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी ईण्डाना ब्राण्ड (Ghee Indana Brand)** 449—449 ग्राम के 26 नग मूल पैक जिसके बैच नं. 09 (डी पी जी 70) एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2021 थी, रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कमल कुमार जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री कमल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी ईण्डाना ब्राण्ड (Ghee Indana Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

क्रय किया जा रहा है, 449—449 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी ईण्डाना ब्राण्ड (Ghee Indana Brand)** 449—449 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई—2946 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई—2946 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री कमल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स देवली रोड मेहन्दवास तह. व जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स गौरव एजेन्सीज हाथाई का मोहल्ला नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक राज. का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3168 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/1264/एक्ट/2021/1336 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी ईण्डाना ब्राण्ड (Ghee Indana Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिर्पोट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स गौरव एजेन्सीज हाथाई का मोहल्ला नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक राज. को फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज, खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. की छायाप्रति के साथ मैसर्स श्री पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी ए—93 राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा सीकर रोड जयपुर राज. का वारंटी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स श्री पार्श्वनाथ ट्रेडिंग कम्पनी ए—93 राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा सीकर रोड जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज, खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. की छायाप्रति के साथ मैसर्स ए बी एन्टरप्राईजेज 630 फासिल रोड श्रद्वानन्द मार्ग जीबी रोड दिल्ली का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स ए बी एन्टरप्राईजेज 630 फासिल रोड श्रद्वानन्द मार्ग जीबी रोड दिल्ली को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज, खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. की छायाप्रति प्रेषित की एवं बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सं. 3 श्री गिरीश जींदगर के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश करते हुए उनकी मृत्यु होना बताया एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। अभिभाषक ने अन्य अप्रार्थीगणों की ओर से बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी ईण्डाना ब्राण्ड (Ghee Indana Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी ईण्डाना ब्राण्ड (Ghee Indana Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री कमल कुमार जैन पर शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 2 श्री प्रेमप्रकाश पर शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 4 श्री अमोल भाटिया पर शास्ति रूपये 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी सं. 3 श्री गिरीश जींदगर की मृत्यु होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज०

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक